


15-

52

1



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक-

12016/निगरानी

जिला - ~~III~~ जिला -
निग - 517 - III - 16

श्री. बालेन्द्र सिंह धाकड़
द्वारा आज दि. 9/2/16 को
प्रस्तुत

बालेन्द्र सिंह धाकड़
कलेक्टर
राजस्व मण्डल म.प्र. 2/16

1. सतपाल पुत्र श्री केशोराव धाकड़,
आयु-40वर्ष,
2. श्रीमती जानती पत्नी श्री केशोराव
धाकड़, आयु-70वर्ष (फौत)
3. शान्ती पुत्री श्री केशोराव धाकड़,
आयु-45वर्ष
समस्त निवासीगण-ग्राम देवरी खुर्द
परगना पोहरी जिला शिवपुरी
(म०प्र०)

-----आवेदकगण

बनाम

मांगीलाल पुत्र श्री कमरलाल, जाति-
ब्रहाम्ण, आयु-70वर्ष, निवासी- ग्राम
भटनावर परगना पोहरी जिला
शिवपुरी (म०प्र०)

-----अनावेदक

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश
भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
19.11.2014 पारित न्यायालय अपर कलेक्टर
जिला शिवपुरी प्रकरण 'क्रमांक-47/10-11/निगरानी
माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार
प्रस्तुत हैं:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-517-तीन/16

जिला - शिवपुरी


पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

02/04/2019

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हों।



आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर